



2026:AHC-LKO:16993-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील संख्या - 67 सन 2026

असगर एवं एक अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	सज्जाद हुसैन, बदर इफ्तिखार, कुलसुम फ़िरोज़, नूरुद्दीन खान
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अतुल कुमार सिंह, दिलीप कुमार पांडे

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. सुनवाई हुई।
2. यह विशेष अपील अपीलकर्ताओं द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या 1290/2025 (रोशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 27.01.2026 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है।
3. दिनांक 05.02.2026 के आदेश में, प्रस्तर संख्या 3 की दूसरी पंक्ति में 'खलिहान' शब्द का गलत उल्लेख किया गया है, जैसा कि पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा सूचित किया गया है। वास्तव में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेशों के अनुसार 'तालाब भूमि' पर स्थित संरचनाओं को ध्वस्त किया जाना है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से उस गाटा संख्या को बताने के लिए कहा जिस पर वे संरचनाएं मौजूद हैं जिनके वे मालिक होने का दावा करते हैं, लेकिन वे ऐसी कोई गाटा संख्या नहीं बता सके।
5. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने बताया कि 29.03.2019, 09.04.2019 और 23.04.2019 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेशों के अनुसार विध्वंस किया जाना है।
6. इस स्तर पर, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान ग्राउंड एल की ओर दिलाया जिसमें गाटा संख्या 378 और 379 पर मौजूद विवादित संपत्तियों का उल्लेख है। उक्त भूमि की प्रकृति को राजस्व खतौनी के संदर्भ में प्रदर्शित करने के लिए कहे जाने पर, ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखाया जा सका।
7. हमने अपने दिनांक 05.02.2026 के पूर्व आदेश में पहले ही उल्लेख किया है कि विचाराधीन मुकदमे में उल्लिखित संपत्ति प्रथम दृष्टया पहचान योग्य प्रतीत नहीं होती है और न ही अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने इसे अन्यथा दर्शाने का कोई प्रयास किया है। कलेक्टर या ग्राम सभा भी उक्त मुकदमे संख्या 261/2002 में पक्षकार नहीं थे।
8. इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता संख्या 2 ऊपर उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही में पक्षकार था, लेकिन उसने ऊपर उल्लिखित आदेश को कभी चुनौती नहीं दी है, जिसके संबंध में माननीय एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित किया है।
9. प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत जारी आदेश भी अपीलकर्ता संख्या 1 के खिलाफ था। उनके अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 1 - असगर और पहाड़ी एक ही व्यक्ति हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार नहीं करना चाहते। यदि अपीलकर्ता संख्या 1 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही में पक्षकार नहीं था और विवादित भूमि पर मौजूद किसी संरचना पर उसका कोई अधिकार है, तो वह उचित मंच या न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों का दावा कर सकता है, क्योंकि हम तथ्यों के विवादित प्रश्नों, विशेष रूप से स्वामित्व, कब्जे आदि से संबंधित प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकते, खासकर इसलिए कि अपीलकर्ता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संख्या 1 ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेश को चुनौती भी नहीं दी है।

10. अपीलकर्ता संख्या 2 के संबंध में, जैसा कि स्वीकार किया गया है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही में पक्षकार था, लेकिन उसने उक्त आदेशों को चुनौती नहीं दी है, इसलिए हमें उसकी ओर से हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

11. तदनुसार अपील **खारिज** की जाती है।

मार्च 9, 2026

प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।